

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/1584

/ छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026

रायपुर, दिनांक 23/09/26

छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (MDS) पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2026

हेतु द्वितीय काउंसिलिंग आवंटन सूचना

आज दिनांक 23.09.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर (MDS) पाठ्यक्रम की सीटों हेतु द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी :-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	स्कूटनी की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि (सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस रहेंगे।)	दिनांक : 24 सितम्बर 2026 समय (Server Time) 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक : 29 सितम्बर 2026 समय (Server Time) 16:00 Hrs (04:00 PM) तक
2	आबंटित संस्था में प्रवेश की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि (सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस रहेंगे।)	दिनांक : 24 सितम्बर 2026 समय (Server Time) 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक : 29 सितम्बर 2026 समय (Server Time) 17:00 Hrs (05:00 PM) तक

समस्त निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय संस्थाएँ, स्कूटनी स्थल शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में ही, स्कूटनी उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

नोट :-

1. आगामी काउंसिलिंग, आवंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट <https://cgdme.admissions.nic.in/> का नियमित अवलोकन करते रहें।
2. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।
3. छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Rabie
23/09/26
अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/1585 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026

रायपुर, दिनांक 23/09/26

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।
2. समस्त प्राचार्य, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।

संस्था प्रमुख स्कूटनी समिति को निर्देशित करें कि समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोनस अंक दस्तावेज एवं प्रावीण्य सूची में अंकित बोनस अंक से मिलान भी करें।

Rabie
अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.